

26/12/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पञ्चनाथन उपस्थित। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज व न्यायक सुमंगल प्रबन्धानों का अवलोकन कर लेख पर मान्य किया गया। बाद कादीकरण अंतर्गत धारा 53, 188, 200 काश्तकारी अर्थात्, 1955 अर्थात् शीत पर मुताबिक नमूने कुरजात अंतर्गत डिमी (F.D.) किया जाता है। तहसीलदार, फुलरा को तहरीर जारी है। पत्रावली फौजल शुमार ही फौज अंतर्गत ये कम हीकर पारिवल दफतर है। विस्तृत निर्णय पूर्वक से टर्मिन करवाया जाकर सुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेख